UPKJ010006512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6489

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–316/2026

पल्ली कोड़ा अब्राहम कान्तिलाल पुत्र पल्ली कोड़ा मणिलाल,

निवासी–30/13 रेलपेट नोबल कालेज के पीछे रेलवे स्टेशन रोड के पास थाना मछली पट्नम, जिला कृष्णा आन्ध्र प्रदेश। ..... **अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य .....**अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–461/2025
धारा–3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध
धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021
थाना–ठठिया, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **पल्ली कोड़ा अब्राहम कान्तिलाल पुत्र पल्ली कोड़ा मणिलाल** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 2 (झ) के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आते है और न ही किसी धर्म परिवर्तन के लिये प्रार्थी सक्षम व्यक्ति है। धर्म समपरिवर्तन का कोई कार्य सम्पादित करता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाये जैसे पादरी, कर्मकांडी, मौलवी, मुल्ला इत्यादि की श्रेणी में प्रार्थी नहीं आता है। सहसंयोजक के पद पर कार्यरत है जिसका हवाला स्वयं अपनी तहरीर में दे वादी मुकदमा अन्नू बाबा पुत्र शिवमंगल सिंह बजरंगदल में रहे है। सिर्फ अपनी छवि संगठन में व राजनैतिक लाभ के कारण इस प्रकार की झूठी व कुंठित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी न तो कभी भी जिला कन्नौज में आया था और न ही धर्म परिवर्तन के लिये किसी को उकसाया। प्रार्थी के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये तथ्य झूठे व म नगढ़ना है क्यों कि तहरीर व जांच में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। प्रार्थी ने धर्म समपरिवर्तन की धारा (1) के तहत धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित धर्मान्तरण से कम से कम 60 दिन पहले निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करना होता है। प्रार्थी ने कभी कोई ऐसा आवेदन नहीं किया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को कई दिनों से गिरफ्तारी हेतु तलाश किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा घर पर कई बार दबिश दी जा रही है। प्रार्थी पुलिस विवेचना में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। भागने व फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर अपराध है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अन्नू बाबा ने तहरीर प्रार्थनापत्र इस

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.24 17:08:50 IST
Reason: judgment
Location: A.D.J.-1,Kannauj.

आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मैं बजरंग दल में सह संयोजक के पद हूॅ। मुझे जानकारी हुई कि दिनांक 07.12.2025 को ग्राम करसाह मौजा औसेर थाना ठठिया क्षेत्र में पन्नालाल, विधासागर, उमाशंकर दोहरे ने करीब तीन वर्ष पूर्व ईशाइ धर्म अपना लिया था जो क्षेत्र के आज अपने गांव करसाह में करीब 20 या 25 महिला और पुरूष वह करीब 10 बच्चों को बहला फुंसलाकर व प्रलोभन देकर हिन्दू धर्म से ईशाइ धर्म में परिवर्तित करा रहे है जिन्होने बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर चर्च भी बनवा रखा है जिसका (लिमविंग वर्ड चर्च) भी बना रखा है।

5. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना ठठिया जिला कन्नौज में मुकदमा अपराध संख्या–461/2025 **धारा–3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021** में अभियुक्तगण पन्नालाल, विद्यासागर व उमाशंकर दोहरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य पुलिस अभिलेखों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त **पल्ली कोड़ा अब्राहम कान्तिलाल पुत्र पल्ली कोड़ा मणिलाल** का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध संलिप्तता के संबंध में प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र साक्ष्य इस स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा विवेचना प्रचलित है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **पल्ली कोड़ा अब्राहम कान्तिलाल पुत्र पल्ली कोड़ा मणिलाल** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–461/2025 अपराध अन्तर्गत धारा–3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना–ठठिया, जनपद कन्नौज** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उपरोक्त धनराशि की **दो प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि की दाखिल करने पर निम्न शर्तों के बावत अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये कि–

I. अभियुक्त के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगा।

II. अभियुक्त जमानत का दुरूप्रयोग नहीं करेगा।

III. अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगा।

उपरोक्त किसी शर्त के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपनी संतुष्टि पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है।

दिनांक–19.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1 कन्नौज।

(J.O.CODE No–UP 6489)